


15.05.24

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन  
अधिकारी ~~म.म.रा.प.का.म.म.अ.र.ल~~  
होने से प्रकरण दिनांक 26/06/24  
को पेश हो।


  
रीडर

26.6.24

पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता अध्यात्मि जतवेडी  
उप. वादी लम्बे समय से अध्यात्मि हैं न्यायालय द्वारा रुक-रुक  
कर रुके आवाजे लगाकर गई। वाकजूद इलेक्ट्रिक कोई उपस्थित नहीं  
हुआ जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद को आगे चलाना नहीं  
चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम-  
हाजरी, अदम पेशी में धारिज किया जाता है निर्णय और इजलाह  
सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(रिया जी)  
IAS